मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक– एफ 1–13/2010/बयालीस/1 भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2010

प्रति,

संचालक,
तकनीकी शिक्षा संचालनालय
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय– इंजीनियरिंग महाविद्यालयों/पोलीटेकनिक महाविद्यालयों मे सेवा भर्ती नियम–2004 के तहत नियुक्त संविदा व्याख्याताओं के नियमितीकरण करने की प्रकिया।

—00—

1. संस्थाओं में नियुक्त संविदा व्याख्याताओं के नियमितीकरण की समस्त प्रकिया एक छान–बीन समिति के तत्वाधान में पूर्ण की जावेगी। इस समिति में निम्न सदस्य होगें।
   (अ) संबंधित संस्था के प्राचार्य–अध्यक्ष
   (ब) संचालक, तकनीकी शिक्षा द्वारा अनुमोदित एक अधिकारी (अन्य संस्था से)/प्रतिनिधि।
   (स) संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा अनुमोदित एक वरिष्ठ अधिकारी।
2. नियुक्त संविदा व्याख्याताओं के नियमितीकरण की प्रकिया मध्यप्रदेश शासन के अन्य सभी विभागों की तरह उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पर ही आधारित होगी।
3. नियमितीकरण के योग्य संबंधित शिक्षकों की पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविवेदन कम–से–कम "ख" श्रेणी (अच्छा) होना आवश्यक है किन्तु यदि विगत तीन वर्षों में से संबंधित अधिकारी/शिक्षक की कोई भी दो वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन कम–से–कम "ख" (अच्छा) श्रेणी की नहीं होती है तब ऐसी अवस्था में संबंधित अधिकारी/शिक्षक का नियमितीकरण नही किया जायेगा जब तक कि पिछले तीन वर्षों के ब्लॉक में दो वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन कम–से–कम "ख" श्रेणी (अच्छा) नही होते है।
4. बिन्दु क्र. 1 के अनुसार गठित समिति से प्राप्त अनुशंसित प्रकरणों की सूची को संबोधित संस्था के प्राचार्य को अपने शासी निकाय से अनुमोदन लेना होगा एवं इसके उपरान्त अनिवार्य रूप से साधारण सभा से अंतिम अनुमोदन (Final Approval) लेकर मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग को अवगत कराना होगा। तदनुसार संस्था के प्राचार्य एवं सदस्य सचिव नियमित किये गये अधिकारी/शिक्षकों के आदेश प्रसारित करने की प्रकिया पूर्ण करेंगे।
5. यदि कोई शिक्षक अर्वतनिक अवकाश पर जाता अथवा हो जाता है। तब ऐसी अवस्था में संबंधित शिक्षक के नियमितीकरण की अवधि उसके अर्वतनिक अवकाश की अवधि के बराबर बढ़ जायेगी।

निरंतर

6\. ऐसे अधिकारी जो सेवा भर्ती नियम–2004 के प्रारम्भ होने के पूर्व शासकीय अधिकारी थे अथवा मध्यप्रदेश राज्य के किसी शासकीय उपक्रम या शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थाओं में पदस्थ थे एवं वर्तमान में भर्ती नियम–2004 के अंतर्गत पदस्थ है कि नियमितीकरण की प्रकिया निम्नानुसार की जावेगी :–

6.1 संस्था में सोसायटी/जनभागीदारी समिति द्वारा नियुक्त ऐसे अधिकारी जो सेवा भर्ती नियम–2004 के प्रारम्भ होने के पूर्व शासकीय अधिकारी थे/है अथवा मध्यप्रदेश राज्य के किसी शासकीय उपक्रम या शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थाओं मे पदस्थ थे/है तथा जिन्हें शासन के द्वारा सेवा भर्ती नियम–2004 की कण्डिका–13 (इंजीनियरिंग अध्यापन संवर्ग सेवा भर्ती नियम–2004) अथवा कण्डिका–14 (पोलीटेकनिक अध्यापन संवर्ग सेवा भर्ती नियम–2004) के अनुसार अपने मूल पद पर अधिकतम तीन वर्ष का धारणाधिकार स्वीकृत किया गया हो, उनके द्वारा सोसायटी/जनभागीदारी में आमेलन/नियमितीकरण के संबंध मे आवेदन प्रस्तुत करने पर विचार करते हुए संस्था के नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अवधि समाप्त होने पर उनके सोसायटी/जनभागीदारी में आमेलन/पृथक्कीकरण संबंधी प्रस्ताव उनकी योग्यता, कार्यदक्षता तथा संस्थागत आवश्यकतानुसार समीक्षा कर तैयार किया जावेगा तथा उनके आमेलन/पृथक्करण का अन्तिम विनिश्चय संस्था की सोसायटी/जनभागीदारी समिति करेगी। सोसायटी/जनभागीदारी समिति द्वारा संबंधित अधिकारी के आमेलन/नियमितीकरण का निर्णय लेने की स्थिति में यह निर्णय शासन द्वारा अधिकारी के शासकीय सेवा से त्याग–पत्र स्वीकृत होने पर ही मान्य किया जावेगा।

6.2 यदि संस्था में सोसायटी/जनभागीदारी समिति द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कालावधि समाप्त होने पर शासकीय सेवा में वापिस जाने हेतु विकल्प दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में संबंधित संस्था के प्राचार्य ऐसे प्रकरण को शासन को उन्हें उनके मूल पद पर पदस्थ किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित करेंगे एवं तद्नुसार शासन से प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ. रमेश किणायत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

पृ.क्रमांक– एफ 1–13/2010/बयालीस/1
भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2010

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. कुल सचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
4. समस्त प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग/पोलीटेक्निक महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
5. स्टाफ फाईल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

Scanned by CamScanner